बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

465(12)
31-7-14

संकल्प

विषयः– बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के गठन के संबंध में।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक नये उप मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा Framework for Implementation जारी किया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से शहरों में रहने वाले झुग्गी–झोपड़ी वासियों, शहरी गरीब एवं अन्य कमजोर वर्ग (Vulnerable) के लोगों के स्वास्थ्य में गुणवत्तायुक्त सुधार करना है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी है एवं शहरों में कार्यरत स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता एवं पोषण सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले विभागों को Convergence के तहत् सेवा प्रदान करने के लिए एकमत करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरों/नगरों में समुचित जन स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने हेतु जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ नए बुनियादी स्वास्थ्य सेवा का निर्माण (Development of Infrastructure) का प्रावधान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न रूप से निर्णय लिया गया हैः–

1. राज्य के 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर/नगर में यह मिशन कार्यान्वित किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के दायरे में बिहार राज्य के 53 शहर/नगर की सूची तैयार की गई है जो संलग्न है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। वर्त्तमान में 15 शहरों, यथा, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, बिहारशरीफ, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, छपरा, दानापुर, सहरसा एवं सासाराम को बिहार राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। इसके पश्चात् शेष शहरों/नगरों में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण में इस योजना से राज्य के शहरी क्षेत्र के 86,83,880 नागरिकों (Source-2011 Census) में से कुल 54,05,909 शहरी नागरिकों को लाभ मिल सकेगा जो शहरी आबादी का 62.24% होता है।
2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु निम्नवत् संस्थागत व्यवस्थाएँ लागू होंगीः–

(क) राज्य स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत गठित राज्य स्वास्थ्य समिति उत्तरदायी होगी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के मिशन निदेशक ही इस कार्य को देखेंगे। इस हेतु उनके कार्यालीय व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

(ख) शहर के स्तर पर जिला में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य मिशन का नियंत्रण रहेगा। जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत एक शहरी स्वास्थ्य कोषांग का निर्माण होना है एवं अतिरिक्त सदस्यों का समावेषण किया जायेगा।

3. इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक शहर में 50,000 की आबादी पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Urban Primary health Centre) स्थापित किया जाएगा। जब तक इसके लिए आधारभूत संरचना का निर्माण या स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक इसे किराए के भवन में अथवा लोक निजी साझेदारी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस केन्द्र के माध्यम से ओ0पी0डी0 की सुविधाएँ दी जाएंगी। प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रोगी कल्याण समिति हेतु वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

4. प्रत्येक Slum (मलिन बस्ती) के लिए एक सामुदायिक कार्यकर्ता शहरी आशा के रूप में कार्य करेंगी, जो लगभग 1000–2500 लाभान्वित (200–500 घरों) पर होगी। इनके कार्य लगभग वही होंगे जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा के लिए निर्धारित है।

5. इसके अलावा महिला आरोग्य समिति (MAS) भी गठित करने का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है, जो 50–100 घरों पर होंगी। महिला आरोग्य समिति एवं शहरी आशा कार्यकर्ता साथ मिलकर समुदाय स्तर पर सेवा उपलब्ध कराएंगी।

इस योजना के तहत 108 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 391 आशा एवं 1562 महिला आरोग्य समितियाँ गठित की जाएँगी।

6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन एवं बजट का भी प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है जो (अनुलग्नक–2) में विस्तृत उल्लेखित है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वित करने के लिए तीन स्तर पर नियुक्ति करने के लिए स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

(क) राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत इस कार्यक्रम के संचालन के लिए Urban Health Cell के साथ कुल चार पद स्वीकृत हैं जो निम्न है–

(a) State Urban Health Programme Manager-01 (एक पद),
(b) Urban Health Consultant -01 (एक पद),
(c) Data Entry Operator-01 (एक पद) एवं
(d) Finance Manager-01 (एक पद)।

(ख) इसके अतिरिक्त 15 शहरों में पटना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है क्योंकि यह मिलियन प्लस शहर है। इसमें शहर स्तर पर सिटी प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का प्रावधान है जो जिला स्वास्थ्य समिति के दिशा–निर्देश पर कार्य करेगी। इसके लिए भी निम्न पद स्वीकृत किया गया है–

(a) Urban Health Conultant -01 (एक पद),
(b) MIS Consultant -01 (एक पद),
(c) Community Process Consultant -01 (एक पद) एवं
(d) Data Entry Operator -01 (एक पद)।

(ग) शेष 14 शहरों के लिए एक पद स्वीकृत है– Urban Health Consultant जो जिला स्वास्थ्य समिति के शहरी स्वास्थ्य कोषांग में कार्य करेंगे।

(घ) प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पर निम्न पद स्वीकृत है–

(a) Doctor (Full Time)- 01 (एक पद),
(b) Doctor (Part time)- 01 (एक पद),
(c) ANM/Staff Nurse – 03 (तीन पद),
(d) Pharmacist- 01 (एक पद) एवं
(e) Lab. Technician- 01 (एक पद)।

7. केन्द्र सरकार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान बिहार राज्य को 75 प्रतिशत की निधि उपलब्ध कराएगी तथा राज्य सरकार का अंश 25 प्रतिशत का होगा।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–12/प0–09–01/2014– 465(12) /पटना, दिनांक– 31-7-14

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस संकल्प की पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–12/प0–09–01/2014– 465(12) /पटना, दिनांक– 31-7-14

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/वित्त आयुक्त, बिहार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी प्राचार्य/अधीक्षक,चिकित्सा महाविघालय एवं अस्पताल/सभी सिविल सर्जन/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल,बेतिया/लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया/पीलग्रीम अस्पताल, गया/सभी अधीक्षक,सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/सभी प्रभारी पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागाार पदाधिकारी को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव